Seventeenth Loksabha

an>

Title: Regarding problem of water supply in Aurangabad Parliamentary Constituency, Maharashtra.

श्री सय्यद ईमत्याज जलील (औरंगाबाद): माननीय अध्यक्ष जी, सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट में कहा गया है - water is right to life. लेकिन हमें इस राइट से महरूम रखा जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं जिस कांस्टीटुएंसी से आता हूं, वहां आज भी सात या नौ दिन के बाद पानी मिलता है। इस बार इतनी अच्छी बारिश हुई और शहर को जायकवाड़ी डैम से पानी प्रोवाइड किया जाता है, जो कि पूरी तरह से लबालब भरा हुआ है, लेकिन इसका पानी 55 किलोमीटर दूर औरंगाबाद में ला नहीं सकते हैं, पिछली सरकारों की नाकामियां रही होंगी, लेकिन आज गेट्स खोलकर पानी को बहाया जा रहा है। अब सरकार ने 1680 करोड़ रुपये की स्कीम की घोषणा की है।

यहां जल शक्ति मंत्री बैठे हुए थे, मैं अभी तक इंतजार कर रहा था कि आप मेरा नाम पुकारें, लेकिन इससे पहले वह उठकर चले गए। सरकार ने वादा किया है – "हर घर जल"। मेरा अनुरोध है कि इस स्कीम के तहत औरंगाबाद को केस स्टडी पर लिया जाए और सरकार अपनी सक्सैस स्टोरी बोलकर प्रोजेक्ट करे कि इस शहर में, जहां सात दिन बाद पानी मिलता था, डेढ़-दो साल में हर रोज पानी प्रोवाइड कराने का इंतजाम किया गया है।

मैं आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध करना चाहता हूं कि 70 सालों बाद भी अगर सात या नौ दिन बाद पानी मिल रहा है तो हम सबके लिए बड़े शर्म और अफसोस की बात होनी चाहिए। हमें इतने सालों बाद भी पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। हम बड़ी बातें करते हैं, बड़ी घोषणाएं करते हैं, लेकिन मैं आपको जमीनी हकीकत बता रहा हूं कि जब पांच दिन बाद पानी आता है तो महिलाओं को किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं।